म.प्र. शासन
अशासकीय संस्था अनुदान नियम 1985
अन्तर्गत अनुदान योजना

उद्देश्य :–

1. अनुसूचित जन जाति संवर्ग का शैक्षणिक उत्थान ।
2. अनुसूचित जनजाति संवर्ग का आर्थिक उत्थान ।

प्रावधान :–

पंजीकृत अशासकीय संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थाओं के संचालन पर भारत सरकार से शत्प्रतिशत अनुदान का प्रावधान ।

कौन लाभ ले सकता है :–

म.प्र. सोसायटी रजिसट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन पंजीबद्ध अशासकीय संस्था/रजिस्ट्रेशन 3 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है ।

योजना का लाभ कैसे ले सकते है :–

1. **किससे संपर्क करें** – कार्यालय कलेक्टर /सहायक आयुक्त, आदि.वि.डिण्डौरी
2. **आवेदन प्रारूप कहां से प्राप्त करें** – कार्या.सहायक आयुक्त, आदि.वि. डिण्डौरी ।
3. **आवेदन करने का तरीका** :– निर्धारित प्रारूप में लिखित आवेदन सीधे प्रस्तुत करें
4. **आवश्यक दस्तावेज** :–
    1. निर्धारित आवेदन पत्र
    2. प्रस्तावित प्रोजेक्ट प्रोफाइल
    3. विगत तीन वर्ष का लेखा प्रतिवेदन
    4. विगत तीन वर्ष का प्रगति प्रतिवेदन

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास डिण्डौरी
जिला डिण्डौरी